

बिहार सरकार
वाणिज्य-कर विभाग
—: अधिसूचना :—

संयिका संख्या—6/अ0-03-12/2014

पटना, दिनांक:—

श्री रवीन्द्र कुमार, राज्य-कर संयुक्त आयुक्त (53-55वीं बैच) (प्रभारी), किशनगंज अंचल, किशनगंज को बिहार सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 के तहत दिनांक 05.05.2026 से 20.05.2026 तक 16 दिनों का उपार्जित अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. उक्त उपार्जित अवकाश की स्वीकृति के उपरान्त श्री कुमार के अवकाश लेखा में (300-16=284) दो सौ चौरासी दिन उपार्जित अवकाश शेष रह जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

(विजय कुमार)

सरकार के उप सचिव,
वाणिज्य-कर विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापक:—6/अ0-03-12/2014 2280

पटना, दिनांक:— 22/06/26

प्रतिलिपि :- वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, किशनगंज/राज्य-कर अपर आयुक्त (प्रशासन), पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ/एच0 आर0 एम0 एस0 (एडमीन), वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/राज्य-कर उपायुक्त-सह-एच0आर0 मैनेजर (स्थापना), वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/लेखा शाखा, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/अंचल प्रभारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, किशनगंज अंचल, किशनगंज को इस आशय की सूचना के साथ प्रेषित की एच0आर0एम0एस0 पोर्टल पर उक्त अवकाश के पश्चात् शेष आदेयता की अद्यतन प्रविष्टि कर लेंगे/आई0टी0 मैनेजर, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/श्री रवीन्द्र कुमार, राज्य-कर संयुक्त आयुक्त (53-55वीं बैच) (प्रभारी), किशनगंज अंचल, किशनगंज को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव,
वाणिज्य-कर विभाग
बिहार, पटना।